

at Lucknow
6/1/2014

भारत सरकार BHARAT SARKAR
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. 76/RS(G)/779/55 Pt.

New Delhi, dated : 06.01.2015

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The ED(Stores)/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara,
DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS

Sub: Procurement of proprietary articles.

Ref: Board's letter No. 76/RS(G)/779/55 dated 21.05.1982

In an Audit Para, Audit has pointed out that basis of declaring an item as 'PAC item' were not available in records of various railways and that requisite steps were not taken for development of more vendors.

In this reference, it may be noted that above referred letter emphasised that procurement of stores on proprietary basis completely eliminates competition and could lead to higher prices and therefore directed indenting authorities that before indenting for proprietary articles and certifying them so, they should fully satisfy themselves that no acceptable substitutes are available.

Therefore, it should be ensured that basis on which the item has been treated as proprietary item and efforts that are being made /have been made to develop more sources for the item would be recorded by the indenter and maintained in their records.

J.C. Taneja

(J.C.Taneja)
Dy. Director, Rly. Stores(G)II,
Railway Board.

No. 76/RS(G)/779/55 Pt.

New Delhi, dated : 06.01.2015

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

J.C. Taneja

(J.C.Taneja)
Dy. Director, Rly. Stores(G)II,
Railway Board

No. 76/RS(G)/779/55 Pt.

New Delhi, dated : 06.01.2015

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors—
 - a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 - b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 - c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 - d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
 - e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
 - f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

J.C. Taneja

(J.C. Taneja)

Dy. Director, Rly. Stores(G)II,
Railway Board

No. 76/RS(G)/779/55 Pt.

New Delhi, dated : 06.01.2015

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

J.C. Taneja

(J.C. Taneja)

Dy. Dir. Rly. Stores(G)-II
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(R)
2. CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 76/आरएस(जी)/779/55 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक: 06.01.2015

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/(निर्माण), कोर
कार्यपालक निदेशक(स्टोर्स)/अ.अ.मा.सं./लखनऊ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/वडोदरा,
डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, रेल कोच फैक्टरी/रायबरेली/नई दिल्ली


विषय : प्रोप्राइटरी मदों की खरीद.

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 21.05.1982 का पत्र सं. 76/आरएस(जी)/779/55.

एक ऑडिट पैरा में, ऑडिट ने उल्लेख किया है कि विभिन्न रेलों के रिकॉर्ड में किसी मद को 'पीएसी मद' घोषित किए जाने का आधार उपलब्ध नहीं था और अधिक विक्रेताओं को तैयार करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए थे।

इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि ऊपर संदर्भ में दिए गए पत्र में यह जोर दिया गया था कि प्रोप्राइटरी आधार पर भण्डारों की खरीद होने से प्रतिस्पर्धा पूर्णतः समाप्त हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप कीमत बढ़ सकती है और इसलिए मांगकर्ता प्राधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रोप्राइटरी मदों की मांग करने और उन्हें ऐसा सत्यापित करने से पूर्व उन्हें स्वयं पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए कि कोई स्वीकार्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।


अतः, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस आधार पर किसी मद को प्रोप्राइटरी मद के रूप में माना गया है, वह आधार और उस मद के लिए अधिक स्रोत तैयार करने के लिए किए जा रहे/किए गए प्रयासों को मांगकर्ता द्वारा दर्ज किया जाए और उसे अनुरक्षित रखा जाए।


(जे. सी. तनेजा)
06.01.15
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।
रेलवे बोर्ड

सं. 76/आरएस(जी)/779/55 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक: 06.01.2015

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/रायबरेली, कॉफमो, डीजल आधुनिकीकरण कारखाना
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें


(जे. सी. तनेजा)
06.01.15
उप निदेशक, रेल भण्डार(जी)II,
रेलवे बोर्ड.

सं. 76/आरएस(जी)/779/55 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक: 06.01.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीओएस, पीसीई, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ और आरडब्ल्यूपी/बेला।
2. निदेशक-
 - क) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद।
 - ख) भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
 - ग) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक।
 - घ) वरिष्ठ प्रोफेसर (सामग्री प्रबंधन), एनएआईआर, वडोदरा।
 - ड.) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
 - च) भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ।
3. निदेशक, लोहा एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अअमासं, लखनऊ।
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुखाडिया सर्कल, उदयपुर।

(जे. सी. तनेजा)
06.01.2015
उप निदेशक, रेल भण्डार(जी)II,
रेलवे बोर्ड.

सं. 76/आरएस(जी)/779/55 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक: 06.01.2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248 और एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी और एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

(जे. सी. तनेजा)
06.01.2015
उप निदेशक, रेल भण्डार(जी)II,
रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि प्रेषित:- निम्नलिखित के वरिष्ठ पीपीएस/पीपीएस/पीएस:

1. रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री
2. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक, सदस्य कार्मिक, सदस्य यातायात, सचिव, महानिदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवाएं), महानिदेशक (रेल सुरक्षा बल)
3. रेलवे बोर्ड के सभी अपर सदस्य, सलाहकार और कार्यपालक निदेशक